

22.04.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी अंसालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Handwritten signature
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

